

-(2)- MP No. 1914/2021
Smt. Indira Chaurasia (deceased) through LRs vs. Director,
Krishi Upaj Mandi Samiti & others

ORDER
(Passed on 26th July, 2021)

The parties are at loggerheads on the question of legality, validity and propriety of the order dated 10.03.2021, whereby the application filed by the petitioner-plaintiff under Order 1 Rule 10 CPC has been rejected.

2. The brief facts of the case are that the petitioner has filed a civil suit bearing No. 84A/2015. In the suit it is alleged that the petitioner is owner of survey No. 2467/9/1 min 2 and having way through Krishi Upaj Mandi. The Krishi Upaj Mandi is closing the way which is the easementary right of the petitioner. During pendency of civil suit, vide order dated 8.5.2018 Tehsildar, Tehsil Datia, declared survey No. 2467 as Jungle, on which Krishi Upaj Mandi is situated. Thereafter, the petitioner filed an application under Order 1 Rule 10 CPC for impleading Forest Department as party respondent. The Forest Department denied the land to be of Forest Department and submitted that only Revenue Department can clarify the situation. On

account of that, petitioner moved application under Order 1 Rule 10 CPC for impleading Government through Collector as party respondent, but the trial Court without deciding the controversy in the matter has rejected the application by the impugned order. Hence, prayed that for effective adjudication of the case and for avoiding multiplicity of the litigation it is necessary that the State Government be impleaded as party respondent.

3. Per Contra, learned Additional Advocate General appearing for the respondents No.1 to 3 has opposed the petition and has submitted that the present petition is devoid of merits as the property belongs to Krishi Upaj Mandi, Datia. Hence, prayed for rejection of the petition.

4. Heard learned counsel for the parties and perused the impugned order and available record.

5. The trial Court by impugned order dated 10.3.2021 has passed the following order :-

“इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 153 सीपीसी का निराकरण किया जा रहा है।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वाद के प्रचलन के दौरान कृषि उपज मण्डी द्वारा वादी की

ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी दिनांकित 06.01.21 के जबाव में खसरा की प्रति, सर्वे कं 2467 के संबंध में प्रस्तुत की गई है तथा प्रतिवादीगण द्वारा यह बताया गया है कि 2467 की भूमि अब शासकीय हो गई है इसलिए मध्यप्रदेश शासन को पक्षकार बनाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का पृथक पृथक जबाव प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाव संक्षेप में इस प्रकार है कि यह सर्वविदित है कि दतिया गिर्द का सर्वे नंबर 2467 राजस्व अभिलेखों में मध्यप्रदेश शासन दर्ज है जिसमें वादीगण निवास करते हैं। सर्वे नंबर 2467 का भाग रकवा 7.88 है 0 कलैक्टर महोदय दतिया के द्वारा प्र.कं. 27अ-75 दिनांक 28.01.75 में पारित आदेश के द्वारा उक्त रकवा कृषि उपज मण्डी समिति दतिया को लीज पर दिया गया है जिसके बाद आबंटित भूमि में कृषि उपज मण्डी सम्मिलित हो गई है। विवादित स्थल पर जिस निर्माण को लेकर वादपत्र प्रस्तुत है उसमें म0प्र0 शासन का कोई रोल नहीं है। वादीगण ने प्रकरण को विलंब करने के उद्देश्य से आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने दिनांक प्रतिवादीगण की ओर से दिए गए जबाव के आधार पर प्रस्तुत किया है। वादीगण का मुख्यतः विवाद कृषि उपज मण्डी से रास्ते को लेकर है। वादीगण द्वारा वादपत्र में जो सहायता चाही गई है उसमें प्रतिवादीगण को कृषि उपज मण्डी में बाउण्ड्रीवॉल बनाने से निषेधित करने का निवेदन किया है। वादीगण का मुख्य विवाद कृषि उपज मण्डी से है उक्त सहायता शासन या शासन की भूमि के विरुद्ध नहीं चाही गई है। सर्वे कं. 2467 की भूमि शासन की होने या उसकी स्थिति के संबंध में वादीगण को दिनांक 20.01.21 को हो गई थी। वादी साक्ष्य के प्रकम पर वादीगण की ओर से उक्त संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। यह अवलोकनीय है कि उक्त तथ्य वादी के ज्ञान में आने के उपरांत वादी

-(5)- MP No. 1914/2021
Smt. Indira Chaurasia (deceased) through LRs vs. Director,
Krishi Upaj Mandi Samiti & others

अखिल, साक्षी परशुराम, साक्षी जगदीश एवं साक्षी विपिन बिहारी की साक्ष्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत भिन्न भिन्न प्रकृति के आवेदनों का निराकरण करते हुए अंकित की गई। तब भी वादी की ओर से यह आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। जब प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य के लिए नियत किया गया। तब वादी की ओर से उक्त आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जिससे यह स्पष्ट दर्शित होता है कि वादीगण प्रकरण को विलंबित करना चाहते हैं। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत यह आवेदन भी 500 रुपये के परिव्यय पर निरस्त किया जाता है।”

6. On perusal of the aforesaid order impugned it is apparent that the trial Court has passed the order impugned in accordance with law, wherein it is specifically observed that the dispute exists between plaintiff and Krishi Upaj Mandi with regard to boundary wall and no any agricultural land is involved, therefore no relief could be sought against the State and provisions of Order 6 Rule 4(a) of CPC shall not be attracted. Despite above, aforesaid application was filed before the trial Court on the date fixed for recording of defendants' evidence, which reflects the intention of the petitioner/plaintiff to linger on the suit and, therefore the trial Court has rightly rejected the application by imposing cost of Rs.500/-.

7. Considering the facts and circumstances in

-(6)- MP No. 1914/2021
Smt. Indira Chaurasia (deceased) through LRs vs. Director,
Krishi Upaj Mandi Samiti & others

totality, it is clear that the impugned order does not suffer from any manifest procedural impropriety or palpable perversity. Consequently, the writ petition filed by the petitioner fails and is hereby dismissed being devoid of merits.

(yog)

(Rajeev Kumar Shrivastava)
Judge.